<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/</u>
<u>न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ महोबा।</u>
परिवाद संख्या–658/2018
श्रीमती रामदेवी बनाम सिद्धगोपाल आदि,

<u>दिनांक– 11.02.2019</u>

पत्रावली पेश हुई।

पूर्व दिनांक पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के प्रश्न पर सुना जा चुका है।

परिवादिनी की ओर से कथन किया गया कि घटना दिनांक 13.09.2018 को समय करीब 8:00 बजे रात को गॉव के दबंग व्यक्ति सिद्धगोपाल, अखिलेश, बालादीन, व राजाराम शराब के नशे में मेरे घर के अन्दर घुस आये और बोले मादरचोद विश्वनाथ कहा गया है तो परिवादिनी ने कहा कि वह गॉव में निकल गये है तुम लोग यहॉ से जाओं वह आ जाये तब आना इतना कहने पर उक्त लोग बुरी–बुरी गालियां देने लगे तथा मुझे अकेला जानकार बुरी नियत से मेरी ओर देखने लगे और परिवादिनी को पकड़ कर जमीन पर पटक दिया और लात जूतों से मारने पीटने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। मारपीट से परिवादिनी के कपड़े अस्त–व्यस्त हो गये तथा मारपीट से परिवादिनी के शरीर में कई चोटें आयीं। परिवादिनी के चिल्लाने पर गरॉव के रामगोपाल, भान सिंह व प्रभू आये तो उक्त विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

परिवाद के समर्थन में परिवादिनी ने धारा–200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं को परीक्षित कराया है, तथा धारा–202 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत गोपाल व भान सिंह को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षीगण ने अपने बयान में परिवाद का समर्थन किया है। परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण **सिद्धगोपाल, अखिलेश, बालादीन व राजाराम** के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य धारा–**452, 354, 504, 506 भा0दं0सं0** में प्रसंज्ञान लिये जाने हेतु पत्रावली पर उपलब्ध है और अभियुक्तगण उपरोक्त धाराओं में तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सिद्धगोपाल, अखिलेश, बालादीन व राजाराम के विरूद्ध धारा–**452, 354, 504, 506 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। परिवादिनी अपने साक्षीगण की सूची दाखिल करे। सूची दाखिल होने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध समन जारी हो। परिवादिनी पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

पत्रावली दिनॉक 11.03.2019 को वास्ते हाजिरी पेश हो।

सिविल जज जू0डि0/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड़
महोबा।